

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :-988/2023

सुवा लाल लील

—अपीलार्थी

बनाम

मुख्य कार्मिक अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर।

—प्रत्यर्थागण

आदेश की दिनांक : 17.10.2024

उपस्थिति :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री यश जोशी, अधिवक्ता

समक्ष :- अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या-7592/2022 में पारित निर्णय दिनांक 23.05.2024 पारित किया गया है, जिसमें अजमेर विद्युत वितरण नि.लि. व जयपुर विद्युत वितरण नि.लि. के कर्मचारियों के सेवा विवाद का क्षेत्राधिकार इस अधिकरण को नहीं होना माना गया है।
- अतः यह अपील इस अधिकरण के क्षेत्राधिकार से परे होने के कारण खारिज की जाती है। अपीलार्थी को छूट दी जाती है कि वह सक्षम न्यायालय में अपना वाद प्रस्तुत करने के लिये स्वतंत्र रहेंगे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)